राजस्थान में कारीगरों को प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार एक **'एकीकृत क्लस्टर विकास योजना'** लागू करने की योजना बना रही है, जो हस्तशिल्प, हथकरघा और**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)** क्षेत्रों की उत्पादकता तथा गुणवत्ता को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

- इसके लिये एक प्रारूप पहले ही तैयार किया जा चुका था और हितधारकों से सुझाव मांगे जा रहे थे।

मुख्य बिंदु:

- **MSME** को समर्थन देने के लिये केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे MSME, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और वाणिज्य एवं उद्योग द्वारा **क्लस्टर विकास योजनाएँ** चलाई जा रही हैं।
- प्रारूप नीति के अनुसार, **योजना के चार मुख्य घटक हैं:**
    - मुख्य घटक में क्षमता निर्माण के लिये मध्यम हस्तक्षेप, संसाधनों की आसान उपलब्धता के लिये कच्चे माल बैंक के संचालन के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बाज़ार विकास हेतु **कारीगरों, शिल्पकारों व बुनकरों को समर्थन** शामिल है।
    - दूसरा, 5 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के लिये राज्य सरकार की सहायता से सामान्य सुविधा केंद्र (**Common Facility Centres- CFC**) स्थापित करने हेतु MSME समूहों को समर्थन देना है।
    - एक अन्य घटक के तहत **गैर-राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम** (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation- **RIICO**) औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूदा समूहों तथा **गैर-RIICO** औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड समूहों के लिये बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान दिया जाता है।
- प्रारूप नीति में कहा गया है कि कारीगरों, शिल्पकारों और बुनकरों से संबंधित क्लस्टर विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिये एक साझेदारी फर्म और/या एक ट्रस्ट या सोसायटी या सहकारी समिति या कंपनी या निर्माता कंपनी आदि जिसमें कम-से-कम दस कारीगर, शिल्पकार और/या बुनकर हों, जिनके पास पंजीकृत कारीगर आईडी कार्ड हो, के रूप में एक विशिष्ट प्रयोजन वाहन (**Special Purpose Vehicle- SPV**) का गठन किया जाएगा। राजस्थान में अपना व्यापार करने वाले कारीगर, शिल्पकार और बुनकर SPV का हिस्सा बनने के पात्र होंगे।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO)

- यह राजस्थान सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है जिसने राजस्थान के औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसका गठन वर्ष **1980** में किया गया था।
- 28 मार्च 1969 को **कंपनी अधिनियम, 1956** के तहत राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम (RSIMDC) के रूप में स्थापित एक सरकारी उद्यम को 1 जनवरी 1980 को दो संस्थाओं में विभाजित किया गया था:
    - **राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड** (Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited- **RIICO**
    - **राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम** (Rajasthan State Mineral Development Corporation- **RSMDC**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/boost-for-artisans-in-rajasthan